

**जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय परिसर, अल्मोडा
प्रेस विज्ञप्ति**

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण(नालसा) की Legal Aid Defense Counsel System (Modified Scheme)2022 के तहत माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जनपद अल्मोडा के लिए Chief Legal Aid Defense Counsel की नियुक्ति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्यथा अग्रिम आदेशों तक के लिए की जानी है। उक्त Chief Legal Aid Defense Counsel को-

1. प्रतिमाह मु0 60,000/-रु0 मानदेय भुगतान किया जायेगा।
2. पूरे कलैण्डर वर्ष में समानुपातिक रूप से 15 दिन का अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।
3. इच्छुक अधिवक्ता को कम से कम 10 वर्ष फौजदारी विधि के तहत न्यायालय में कार्य करने का अनुभव हो।
4. इच्छुक अधिवक्ता द्वारा सत्र न्यायालय में कम से कम 30 फौजदारी प्रकरणों में काम किया गया हो।
5. लेखन एवं वार्तालाप में अच्छा Communication Skill हो।
6. कम्प्यूटर ज्ञान वाले को वरीयता दी जायेगी।
7. उक्त Chief Legal Aid Defense Counsel का कार्य लीगल एडेड प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर अर्थात रिमाण्ड के स्तर से लेकर अपील तक सम्पूर्ण कार्यवाही का दायित्त्व होगा साथ ही साथ आवश्यकता होने पर सम्बन्धित कैदी से वार्तालाप करने व जानकारी लेने हेतु जेल विजिट करना भी शामिल होगा।
8. आवेदन पत्र प्रेषित करने की तिथि अब 25/01/2024 से बढ़ाकर दिनांक 02/03/2024 कर दी गई है। इच्छुक अधिवक्ता अब दिनांक 02.03.2024 की सायं 4:00 बजे तक निम्नलिखित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. इस पद पर चयनित काउंसिल का व्यवसायिक आबन्धन पूर्णकालिक होने के कारण विद्वान अधिवक्ता किसी वाद में व्यक्तिगत पैरवी नहीं कर सकते ना ही रिटैनेरशिप का कार्य कर सकते हैं।

Chief Legal Aid Defense Counsel हेतु आवेदन पत्र का विधिप प्रारूप

1. अधिवक्ता का नाम:-
2. पिता/पति का नाम:-
3. पता:-
4. पंजीकरण संख्या व वर्ष तथा कुल अनुभव की अवधि(प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल करें)-
5. सम्बन्धित बार एशोसिएसन का नाम(परिचय पत्र की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल करें):-
6. विषय जिसमें विशेषता हो-(फौजदारी मामले/दीवानी मामले/अन्य मामले) उल्लेख करें:-
7. कम्प्यूटर का ज्ञान है अथवा नहीं:-
8. सत्र न्यायालय में 30 फौजदारी प्रकरणों में काम किया गया है या नहीं उनका विवरण:-
9. श्रेणी(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग):-
10. ई-मेल आईडी एवं व्हॉट्सएप नम्बर:-

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:-

उद्घोषणा:- मैं उद्घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर दी गयी सभी जानकारी मेरे निजी ज्ञान में सही एवं सत्य है।

दिनांक:-

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर